

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

-:आदेश:-

संख्या:-06/प्र०-01(नि०सं०)-12/2025- 912

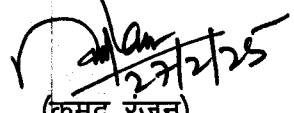
/पटना-15, दिनांक- 27.02.2025

श्री मनोज रमण (आई०डी० संख्या-3284), मुख्य अभियन्ता (कार्यकारी प्रभार), समग्र योजना, अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना-सह-अभियन्ता प्रमुख (अतिरिक्त उच्चतर प्रभार), बाढ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को उनकी दिनांक 28.02.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सह पठित ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों तथा मंत्रिपरिषद की दिनांक 25.02.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-144 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में दिनांक 01.03.2025 से आगामी 01 (एक) वर्ष अथवा नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विभागान्तर्गत संविदा के आधार पर मुख्य अभियन्ता (असै०) के पद के अनुरूप निर्धारित मानदेय पर निम्नांकित शर्तों के साथ नियोजित कर मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना के पद का प्रभार प्रदान करते हुए अभियन्ता प्रमुख, बाढ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है:-

- (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सह पठित ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका-3 (6) के अनुसार निर्धारित मानदेय एवं प्रदत्त सुविधाएँ अनुमान्य होगी।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सह पठित ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका-4 के अनुसार सभी पदीय शक्तियाँ एवं कंडिका-5 के अनुसार आकस्मिक तथा क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य होंगे।
- (iii) श्री रमण के जल संसाधन विभागान्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजन संबंधित व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, माँग संख्या-49, मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-001- निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0006 स्थापना, विपत्र कोड 49-2700800010006, विषय शीर्ष-28 02-संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत भारित होगा।
- (iv) संविदा के आधार पर यह नियोजन आगामी 01 (एक) वर्ष अर्थात् दिनांक 28.02.2026 तक अथवा नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए होगा।
- (v) संविदा के आधार पर यह नियोजन स्थानान्तरणीय नहीं होगा।
- (vi) संविदा पर नियोजित पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा सावधिक अन्तराल पर की जायेगी। नियोजित पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर यह नियोजन कभी भी बिना कोई कारण बताये समाप्त कर दिया जायेगा।
- (vii) यदि संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व संविदा सेवा अवधि का विस्तार नहीं होता है, तो संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
- (viii) नियोजित पदाधिकारी विहित प्रपत्र में संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना के साथ एकरारनामा सम्पन्न करेंगे। नियोजित पदाधिकारी को एकरारनामा के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



- (ix) नियोजित पदाधिकारी सम्पादित एकरारनामा के आलोक में निर्धारित पद का पदभार ग्रहण करेंगे तथा उन्हें मासिक मानदेय का भुगतान पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
- (x) उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

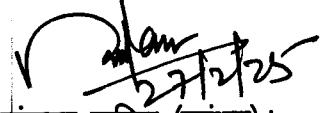
ज्ञापांक-06/प्र०-01(नि०सं०)-12/2025- 912 /पटना-15, दिनांक- 27-02-2025

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 25.02.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-144 के रूप में स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-06/प्र०-01(नि०सं०)-12/2025- 912 /पटना-15, दिनांक- 27-02-2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना/भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक (मुख्य अभियन्ता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/सभी अधीक्षण अभियन्ता, मोनिटरिंग अंचल, पटना/उड़नदस्ता अंचल-1 एवं उड़नदस्ता अंचल-2, पटना/कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित)/जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी, एम०आई०एस० कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना [Common integrated website (www.state.bihar.gov.in)] पर प्रकाशित करने हेतु/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 22, 23, एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।